35 छापे एवं जप्ती
Search & Seizure

आयकर की धारा 132 के तहत छापे की कार्यवाही तभी की जाती हो जब आयकर विभाग को, करदाता के पास निम्न में से कुछ भी होने की पुख्ता जानकारी हो। अघोषित चल संपत्ति, आय या अन्य संपत्ति हो या नोटिस देने के बाद भी, खातें प्रस्तुत नही किए गए हो। छापें एवं जब्ती के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा एक अलग से आदेश जारी किया जाता है, जिसमें उस व्यक्ति (Person) का नाम होता है, जिसके पास उपरोक्त होने का अंदेशा हो तथा छापों की कार्यवाही में सम्मिलित होने वाले अधिकारियों के नाम भी होतें हैं।

छापें के दौरान आयकर अधिकारी को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होतें हैं, परन्तु गिरफ्तार करने का अधिकार नही होता है :

(1) किसी इमारत, स्थान या वाहन को उस व्यक्ति के आधिपत्य (Occupation) में प्रवेश कर सकतें हैं तथा उक्त में आने जाने वाले व्यक्तियों की तलाशी भी ले सकतें हैं। किसी आलमारी, लॉकर, का ताला तोड़कर निरीक्षण भी कर सकतें हैं।

(2) खातें एवं अन्य कागजात की जॉच कर, जब्त कर सकतें हैं।

(3) पैसे, सोना–चांदी, जेवरात परंतु जेवरातों को स्त्रीधन मानते हुए, बिना किसी रिकार्ड के रखने की छूट है। (500 ग्राम/विवाहित महिला, 200 ग्राम/अविवाहित लड़की तथा 100 ग्राम/पुरूष सदस्य की दर से) स्त्रीधन की सीमा से अधिक पाए जाने पर जब्त कर सकतें हैं। परन्तु व्यवसाय में रत Stock in Trade होने पर जब्त करने के बजाए इन्वेन्टरी नोट बनातें हैं।

करदाता व्यक्ति के अधिकारः

- छापे में संलग्न सभी कर्मचारियों के परिचय पत्र एवं आदेश का निरीक्षण किया जा सकता है।
- छापे के पूर्व एवं बाद में छापे में संलग्न अधिकारियों की व्यक्तिगत तलाशी ली जा सकती है।
- दो स्थानीय सम्मानित गवाह रखे जा सकतें हैं, आवश्यकता पड़ने पर डाक्टर को बुलाया जा सकता है।
- करदाता स्वयं, छापें की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रह सकता है।
- किसी कर सलाहकार, चार्टेड एकाउटेण्ट या वकील, को छापे के दौरान, अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है।
- महिलाओं की तलाशी, सम्मानपूर्वक महिलाकर्मी के ही द्वारा किए जाने हेतु कह सकता है।
- करदाता दैनिक कार्यों, जैसे पूजा तथा खाना नियमित समय पर ले सकता है।
- बच्चों को स्कूल, आवश्यकता होने पर स्कूल बैग की तलाशी, के बाद भेजा जा सकता है।
- करदाता सक्षम अधिकारी की अनुमति से परिसर के बाहर भी जा सकता है।
- आयकर अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयानों की जांच कर सकता है कि वे उसी के बताए अनुसार है या नही। करदाता पंचनामा, बयानों एवं अन्य कागजातों की प्रति ले सकता है।
- जब्त किये जाने वाले प्रत्येक वस्तु की पेंकिंग पर, लगे पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर कर सकता है तथा बाद में कोर्ट में या अन्य स्थानों पर पैकिंग खालते समय पुनः अपने हस्ताक्षर की जांच कर सकता है।
- आयकर रिटर्न में घोषित, किसी भी वस्तु के जब्ती करने का विरोध कर सकता है।
- धारा 132(5) के तहत छापे के बाद,आयकर की देयता से अधिक मूल्य की, जब्त वस्तुओं को वापस ले सकता है।

करदाता के कर्तव्य :

- आयकर अधिकारियों को अपने परिसर में निरीक्षण हेतु अबाधित रास्ता देना चाहिए।
- आलमारियों वगैरह की चाबियां दे देना चाहिए ताकि जांच की कार्यवाही शांतिपूर्ण संपन्न हो सके।
- घर में उपस्थित व्यक्तियों का सही परिचय व करदाता से रिश्ता बताना चाहिए।
- दर्ज बयान, पंचनामा वगैरह पर दस्तखत पढ़कर समझकर करना चाहिए।
- जांचदल के द्वारा चाही गई जानकारी, अपनी समझ के अनुसार सही देना चाहिए। गुमराह करने वाले बयान या साक्ष्य प्रस्तुत कदापि न करें। अन्यथा भारतीय पैनल कोड की धारा 179/181/191 के तहत सजा देने की कार्यवाही भी की जा सकती है।